न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 19/2024 तारीख रजू:–29.11.2024

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2024/156

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. रमेश सिंह पुत्र गोपाल सिंह राजपूत, निवासी बावड़ी पाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर (राज.)

–प्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

बनाम

1. प्रेम देवी पत्नि राधेश्याम सेक्रेटी जाति ब्राम्हण, निवासी, चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. अनिल कुमार पुत्र भवानी शंकर पारीक, निवासी, चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित::–

वकील प्रार्थी :–श्री अजय शेखर दवे, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 1 :– श्री विपिन जैन, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 2 :– श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट

निर्णय दिनांक:–02.12.2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) एल0आर0 एक्ट

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–
   - आवेदक की खातेदारी भूमि ख. नं. 3252 रकबा 0.92 है0 ग्राम चौथ का बरवाड़ा में स्थित है।
   - आवेदक की खातेदारी भूमि पर जाने हेतु खसरा नं. 3252 पर आवागमन हेतु एक मात्र कदीमी रास्ता खसरा नंबर 3274 व 3251 के [illegible] पर होकर उत्तर दक्षिण दिशा में 15 फीट चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवाया जाकर [illegible] में अंकन फरमाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.03 13:39:12 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया।
3. वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना जवाब पेश किया है कि–

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

❖ प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मिन विपक्षी के विरूद्ध बिल्कुल गलत एवं निराधार आधारों पर आधारित होकर महज हैरान परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने योग्य है।

❖ प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 3252 पर पहुंचने हेतु खसरा नं. 3274 व 3251 की मध्य मेड पर होकर कदीमी रास्ता बताया गया है जो कि गलत है प्रार्थी का कभी भी यह रास्ता नहीं रहा है और न ही वह कभी उसके बताये अनुसार आया गया है बल्कि प्रार्थी हमेशा से खसरा नं. 3279, 3278, 3271, 3270, 3269, 3272 में होकर खसरा नं. 3252 पर आता जाता रहा है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व से ही प्रार्थी उक्त रास्ते से आता जाता रहा है तो उसको मिन विपक्षी की खातेदारी भूमि में होकर नवीन रास्ता लिए जाने का कोई औचित्य नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

❖ प्रार्थी एक चालाक किस्म का व्यक्ति है जो मिन विपक्षी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 3251 व विपक्षी प्रेम देवी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 3274 में होकर रास्ता चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है लेकिन प्रार्थी ने खसरा नं. 3272 में होकर रास्ता नहीं चाहा है ऐसी स्थिति में खसरा नं. 3272 के खातेदार को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था जो नही बनाया है इसलिए पक्षकार बनाये बिना यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होकर खारिज होने योग्य है।

❖ प्रार्थी का मिन विपक्षी की खातेदारी भूमि में होकर कभी रास्ता नहीं रहा है और न ही वह कभी यहां से आता जाता रहा है बल्कि प्रार्थी हमेशा से दूसरे रास्ते में होकर आता जाता रहा है इसलिए जब एक रास्ता पूर्व से ही मौजूद है तो पुनः नया रास्ता लेने बाबत यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य है।

❖ अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिन विपक्षी के विरूद्ध मय खर्चे के खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

4. वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना जवाब पेश किया है कि–

❖ इस प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जो जवाब पेश किया है वह मौके की स्थिति के अनुसार बिलकुल सही है। प्रार्थी हमेशा खसरा नंबर 3279, 3278, 3271, 3270, 3269, 3272 में होकर आता जाता रहा है। इसलिये हमारी खातेदारी के खेत में होकर रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित नहीं है। तः विपक्षी संख्या 02 की ओर से प्रस्तुत जवाब को सम्पूर्ण रूप से हमारी ओर से पढ़ा जाने की कृपा करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.03 13:39:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

5. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2025/1423 दिनांक 18.06.2025 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की है जो निम्नानुसार है–

- रमेश सिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी चौथ का बरवाडा है।
- ग्राम चौथ का बरवाडा प०म० चौथ का बरवाडा बी के खसरा नम्बर 3252 रकबा 1.92 है० वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार रमेशसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी चौथ का बरवाडा के नाम खातेदारी दर्ज है जिस पर पहुंच के लिए रास्ता चाहा गया है।
- प्रार्थी रमेशसिंह ने अपने खातेदारी खसरा नम्बर 3252 पर पहुंच के लिए खसरा नम्बर 3274 एवं 3251 की मध्य मेड पर होकर रास्ता चाहा गया है।
- प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 3252 से लगते हुए खसरा नम्बर 3253 रकबा 3.39 है० स्थित है जो भगवती देवी पत्नि रमेशसिंह जाति रावणा राजपूत के नाम खातेदारी दर्ज है जो कि प्रार्थी की पत्नि है।
- प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 3252 से लगते हुए खसरा नम्बर 3253 तक पहुंच हेतु रास्ता वर्तमान में चालू है। खसरा नम्बर 3253 तक पहुंच हेतु खसरा नम्बर 3259 एवं 3254 की मध्य मेड से कदीमी रास्ता पहुंच हेतु उपलब्ध है। जिससे प्रार्थी अपनी पत्नि भगवती देवी के नाम दर्ज खसरा नम्बर 3253 में होकर आसानी से अपनी खातेदारी खसरा नम्बर 3252 तक पहुंच सकता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

6. बकुलाय बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान वकील एवं अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत जवाब में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने प्रार्थी वकील एवं वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 व 4 लगायत 6 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

7. ग्राम चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा की स्थायी जमाबंदी दिनांक 07.11.2024 के खाता संख्या 515 का प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है। [illegible] द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3252 पर आवागमन हेतु खसरा नंबर 3274 व 3251 से 15 फिट चौड़ा रास्ता चाहा है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा के रिपोर्ट अनुसार आवेदक/प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 3252 से लगते हुए खसरा नम्बर 3253 तक पहुंच हेतु रास्ता वर्तमान में चालू है। खसरा नम्बर 3253 तक पहुंच हेतु खसरा नम्बर 3259 एवं 3254 की मध्य मेड से कदीमी रास्ता पहुंच हेतु उपलब्ध है। जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.03 13:39:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

आवेदक/प्रार्थी अपनी पत्नि भगवती देवी के नाम दर्ज खसरा नम्बर 3253 में होकर आसानी से अपनी खातेदारी खसरा नम्बर 3252 तक पहुंच सकता है।

8. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) के अनुसार यदि किसी खातेदार की खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता निम्न परिस्थितियों के मद्देनजर दिया जा सकता है–

- खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता हो।
- प्रस्तावित रास्ता खातेदारी भूमि से न्यूनतम दूरी पर हो।
- कोई वैकल्पिक रास्ता न हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

परन्तु तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/प्रार्थी अपनी पत्नि भगवती देवी के नाम दर्ज खसरा नम्बर 3253 में होकर आसानी से अपनी खातेदारी खसरा नम्बर 3252 तक पहुंच सकता है। अर्थात वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) की परिधी में नहीं आता है। अतः मेरी विनम्र राय में प्रकरण में आवेदक को अपनी खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना उचित नहीं है।

–:आदेशः–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 02.12.2025 को सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.03 13:39:12 IST
Reason: SelfAttested